डिबेट
सशक्तिकरण एवं विकास के लिए लोगों का अपना विकल्प

HCL Samuday

HCL
HCL FOUNDATION

ग्राम पंचायत के सदस्यों

के लिए पंचायत अधिनियम

की पुस्तिका

डिबेट
सशक्तिकरण एवं विकास के लिए लोगों का अपना विकल्प

HCL Samuday

HCL
HCL FOUNDATION

ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए पंचायत अधिनियम की पुस्तिका

मनोज कुमार सिंह
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

अर्द्धशासकीय पत्र सं0 .....
☎ (कार्या) : 0522-2284138
ग्राम्य विकास, पंचायती राज एवं राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
"सचिव भवन"
कक्ष सं0-16 / 17, लखनऊ-226001
दिनांक.....

संदेश

उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाएं, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को न केवल गति प्रदान कर रही हैं अपितु विकास कार्यों की निरंतरता को भी सुनिश्चित किए हुये हैं। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय मुद्दों को भी प्राथमिकता मिले और गाँव के कमजोर, गरीब और भूमिहीन व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में शामिल हों इस दिशा में पंचायत राज संस्थाओं ने महती भूमिका निभाई है। पिछले दो दशक में पंचायतों द्वारा शुरू की गई परंपरा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि पंचायत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतों के अधिकार, काम और जिम्मेदारियों के बारे में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

एच॰सी॰एल॰ फाउंडेशन ने हरदोई जिले के प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के लिये प्रशिक्षण योजना बनायी हैं। इसके साथ ही पंचायत के प्रशिक्षकों, प्रधानों एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों (वी. डी. सी.) के प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ भी तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि एच॰सी॰एल॰ फाउंडेशन और सहयोगी संस्था डिबेट द्वारा तैयार ये पुस्तिकाएँ हरदोई जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी उपयोगी साबित होंगी।

इन तीन पुस्तिकाओं में पंचायत राज अधिनियम के अद्यतन प्रावधानों के साथ-साथ प्रमुख योजनाओं और जी॰पी॰डी॰पी॰ तैयार करने की विस्तृत जानकारी भी दी गई हैं। मैं इन पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए एच॰सी॰एल॰ फाउंडेशन और डिबेट लोक न्यास को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये सामग्री पंचायतों को सक्षम और जिम्मेदार बनाने में अत्यंत उपयोगी साबित होंगी।

28.12.21
(मनोज कुमार सिंह)

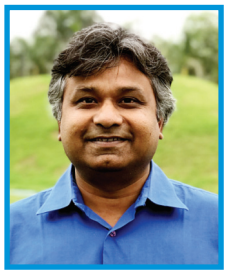

आलोक वर्मा
परियोजना निदेशक

सन्देश

संविधान में तिहत्तरवें संशोधन के माध्यम से देश की संसद ने यह प्रयास शुरू किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और स्वशासन के अधिकतम दायित्व स्थानीय लोग पंचायतों के माध्यम से उठाएँ। ग्राम सभा को संवैधानिक संस्था घोषित करके संसद ने यह व्यवस्था भी स्थापित की है कि पंचायत के काम की समीक्षा गाँव के लोग करें और अगर वे पंचायत के काम में सुधार और बदलाव चाहते हैं तो उसे जरूरी निर्देश दे सकें।

एच.सी.एल. फाउंडेशन हरदोई जिले में समुदाय परियोजना के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 वर्षों से काम कर रही है। इन 6 वर्षों में एच"सी"एल" फाउंडेशन ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, स्वच्छता और आजीविका के क्षेत्र में गहन रूप से काम किया है। अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने के दौरान हमारी टीम को कई बार यह एहसास हुआ कि ग्राम पंचायतों के प्रधान , सचिव एवं वार्ड सदस्य के पास संदर्भ के लिए पंचायत राज अधिनियम और जुड़े हुए कानूनों की एक संदर्भ पुस्तिका उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह उसका उपयोग करके अपने काम का सुचारु रूप से संचालन कर सके और ग्राम पंचायत के स्तर पर जरूरी व्यवस्थाओं का ठीक से प्रबंधन कर सकें।

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने यह एक संदर्भ हस्त पुस्तिका तैयार की है जिसमें पंचायत के प्रमुख जिम्मेदारियों दायित्व और प्रधान, सचिव तथा सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा है यह पुस्तिका नव-निर्वाचित प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों और सचिवों को पंचायत का काम व्यवस्थित ढंग से करने में सहायक होगी। मैं, हमारी सहयोगी संस्था डिबेट लोक न्यास की टीम को, धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस संदर्भ हस्त पुस्तिका को तैयार करने में हमारी मदद की है।

मुझे विश्वास है कि जिले की ग्राम पंचायतों के प्रधानों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सचिवों और पंचायतों के प्रशिक्षण का काम करने वाले कार्यकर्ताओं को यह संदर्भ पुस्तिका उपयोगी होगी।

परियोजना निदेशक
एच.सी.एल. फाउंडेशन

अविनाश कुमार आई.ए.एस.

जिलाधिकारी

अ.शा.प.सं. :

जिलाधिकारी

हरदोई (उ0प्र0)

: 05852-234537 (O)

: 05852-234680 (R)

फैक्स : 05852-234868

ईमेल : dmhar@nic.in

"संदेश"

पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्रमुख जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव की है। ग्राम पंचायत के प्रधान को यह पता होना चाहिए कि पंचायत के क्या-क्या अधिकार है,पंचायत योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर सकती है, पंचायत के पास कौन-कौन से वित्तीय संसाधन किन स्रोतों से उपलब्ध हो रहे हैं। ग्राम पंचायत को पंचायत राज अधिनियम के अलावा दूसरे अधिनियमों के माध्यम से क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं।

मुझे खुशी है की एच0सी0एल0 फाउण्डेशन की समुदाय परियोजना ने पंचायत के प्रधान और सचिव की जरूरत को ध्यान में रखकर एक संदर्भ हस्तपुस्तिका को तैयार किया है जो उन्हें अपना काम नियमित और सुचारु रुप से करने में मदद करेगा और उन्हें जब भी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी तो उसका संदर्भ इस संदर्भ हस्तपुस्तिका से प्राप्त हो जाएगा।

ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिवों के लिए इस संदर्भ हस्तपुस्तिका को तैयार करने में तकनीकी सहयोगी संस्था डिबेट लोक न्यास ने एच0सी0एल0, समुदाय के साथ मिलकर कार्य किया है उसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हरदोई जिले की पंचायतों के कार्यो मे जरूरी सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

जिलाधिकारी, हरदोई।

Panchayati Raj

गिरीश चन्द्र
जिला पंचायत राज अधिकारी
हरदोई

सन्देश

जिले के ग्राम प्रधान कई विषयों पर स्पष्टता के लिए तमाम प्रमाणित एवं अप्रमाणित स्रोतों से इधर-उधर से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उन्हे सही और विश्वसनीय जानकारी नही प्राप्त हो पाती। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का दस्तावेज एक बड़ा दस्तावेज है जिसे हर समय साथ लेकर नहीं चला जा सकता, मुझे कई बार लगा कि पंचायतों के पास एक छोटी हस्त पुस्तिका होनी चाहिए जिसमें उनके प्रमुख कामों और दायित्वों को स्पष्ट किया गया हो और वक्त जरूरत पर वो उसका तुरंत उपयोग कर सकें। मुझे खुशी है कि एच०सी०एल० फाउंडेशन ने इस जरूरत को समझते हुए एक अच्छी छोटी संदर्भ हस्तपुस्तिका को तैयार किया है जो कि प्रधान, सचिवों और वॉर्ड सदस्यों को अपनी पंचायत को व्यवस्थित करने और त्वरित संदर्भ के समय जानकारियों और जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायक होगी। मैं एचसीएल फाउंडेशन और उनके साथ इस पुस्तिका को तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था डिबेट को धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तिकाएं प्रधानों सचिवों और वॉर्ड सदस्यों के लिए उपयोगी होगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी

विषय वस्तु

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पंचायत सदस्यों के लिए अलग से हस्त पुस्तिका क्यों	8
2.	ग्राम पंचायत के काम	9
3.	ग्राम सभा की बैठक	11
4.	ग्राम पंचायत की बैठक	12
5.	समितियों की संरचना एवं भूमिका	14
6.	वित्त, लेखा एवं ऑडिट	18
7.	योजना निर्माण	19
8.	ई-ग्राम स्वराज	22
9.	ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्य	23

1. पंचायत सदस्यों के लिए अलग से हस्त पुस्तिका क्यों

लोकतंत्र में निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकारों में सदस्य की भूमिका को समझना जरूरी। हमारा लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है और जनता अपने प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके मत विचार और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। लोक सभा में सांसद विधानमंडल में विधायक और पंचायतों में पंचायत सदस्य हमारे प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार संस्थाओं को दिए जाते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह समझना जरूरी है की पंचायत राज व्यवस्था में अधिकार ग्राम पंचायत को है प्रधान या सचिव को नही। प्रधान या सचिव जो भी काम कर रहे हैं वह काम ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य में बहुमत से तकिया है ऐसा माना जाता है। अतः पंचायतों के सारे अधिकार और सारे काम पंचायत के सदस्य ने बहुमत से तकिया ऐसा विधान है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वह पूरी पंचायती राज व्यवस्था उसके नियम अधिकार और कर्तव्यों को समझे क्योंकि प्रधान सचिव या अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अंत में ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही अनुमोदित किया जाना है।

पंचायत राज की पृष्ठभूमि

संविधान के अनुच्छेद 40 के परिपालन में 73 वां संविधान पेश करते हुये सरकार ने संसद में पंचयतों को संवैधानिक अधिकार देने के बताते हुए स्वीकार किया कि, "यद्यपि कि हमारे देश में पंचाटों का इतिहास काफी पुराना है फिर भी यह देखा गया है कि यह संस्था गरिमापूर्ण और टिकाऊ लोक संस्था के रूप में नही विकसित हो पायी। इन संस्थाओं के टिकाऊ और गरिमापूर्ण लोक संस्था के रूप में न विकसित होने के अनेक कारण है जिनमे निम्न कारण भी शामिल है:

- पंचायतों के नियमित चुनाव का न होना;
- पंचायतों के अधिकारों पर लंबे समय से अतिक्रमण, समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों तथा महिलाओं का पंचायतों में न के बराबर प्रतिनिधित्व तथा पंचायतों को हस्तांतरित अपर्याप्त अधिकार और वित्तीय स्रोतों का अभाव

देश की संसद ने इन्ही दिक्कतों को दूर करने के लिए पंचायतों को संविधान में तिहत्तरवें संशोधन के द्वारा भाग – 9 स्थापित किया और यह अपेक्षा की कि ये संशोधन पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुये उन्हे एक गरिमापूर्ण और टिकाऊ लोक संस्था के रूप में स्थापित होने में मील का पत्थर साबित होगी।

भाग – 9 के मुख्य प्रावधान

- **गरिमापूर्ण लोक संस्थाएं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत**
- **निरंतरता और नियमित निर्वाचन के लिए** हर पांच साल में पंचायतों के चुनाव होंगे और आकस्मिक कारणों से पंचायत भंग होने की दशा में छः महीने खत्म होने से पहले पंचायतों के चुनाव करवान जरूरी। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य स्तर पर एक स्वायत्तशासी राज्य चुनाव आयोग का गठन।
- **वित्तीय संसाधनों की कमी दूर करने के लिए** राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारों के बीच संसाधनों (पैसों) के बंटवारे को तय करने वाले सिद्धान्त बनाने के लिए हर राज्य में प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन
- **अधिकारों के हस्तांतरण के लिए** संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतों के 29 विषय तय। पंचायतों का प्रमुख काम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित वाली आर्थिक विकास की योजना बनाना।
- **कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए** पंचायतों में समाज के कमजोर तबकों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान।

संविधान में सरकार

संविधान का अनुच्छेद 12 में व्यक्त राज्य शब्द को समझे तो यह साफ है कि चूंकि पंचायतों को स्थानीय प्राधिकारी परिभाषित किया गया है अतः पंचायते भी केंद्र और राज्य सरकारों की तरह ही सरकार है और संविधान में जहां-जहां राज्य शब्द आया है और राज्य को जो ज़िम्मेदारी दी गई है वह सब ज़िम्मेदारी पंचायतों की भी है।

स्थानीय सरकार और उसका निर्वाचित मुखिया – प्रधान

पंचायतें ग्राम सभाओं की विधायी संस्था है और ग्राम पंचायत में प्रधान का स्थान है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का और राज्य मंत्रिमंडल में मुख्य मंत्री का है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत के प्रधान ग्राम सभा के सभापति का भी दायित्व है। सभापति की ज़िम्मेदारी यानि लोकसभा अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति, विधान सभा अध्यक्ष जैसी ज़िम्मेदारी। कई कानूनों जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम में ग्राम सभा का निर्णय ही सर्वोपरि है यानि प्रधान की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वह ग्राम सभा के निर्णय से क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और राज्य सरकार को अवगत करवाए।

पंचायत सदस्य का दायित्व: पंचायत सदस्य की ज़िम्मेदारी है कि प्रधान के साथ समन्वय बनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र और गाँव के विषयों को पंचायत के सामने प्रस्तुत करे।

स्थानीय सरकार और उसका प्रशासनिक मुखिया – सचिव

पंचायत राज व्यवस्था में सचिव की ज़िम्मेदारी ठीक वही है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में कैबिनेट सचिव की और राज्य के संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव की। सचिव का काम है कि वह पंचायत को कानून के अनुसार अपना दायित्व निभाने में सहायता दे और अगर पंचायत का कोई निर्णय संविधान और कानून के अनुसार न हो तो उसकी सूचना क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और राज्य सरकार को दे।

पंचायत सदस्य का दायित्व: पंचायत सदस्य की ज़िम्मेदारी है कि वह सचिव से पंचायत के सभी महत्वपूर्ण विषयों और योजनाओं पर जानकारी प्राप्त करें। सदस्यों को सचिव के साथ बजट, लेखा, योजना निर्माण से जुड़े विषयों पर समन्वय बनाने की भी जरूरत है।

2. ग्राम पंचायत के काम

अधिनियम की धारा [15][1] में ग्राम पंचायत को 30 विषयों पर जो काम दिए गए हैं वो नीचे तालिका में स्पष्ट किए गए है:

उप-धारा	विषय	उप-धारा	विषय
(एक).	कृषि और कृषि विस्तार-	(दो).	भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबन्दी और भूमि संरक्षण
(तीन).	लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास	(चार).	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन
(पाँच).	ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास।	(छः).	सामाजिक और कृषि वानिकी
(सात).	लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।	(आठ).	लघु उद्योग
(नौ).	कुटीर और ग्राम उद्योग	(दस).	ग्रामीण आवास
(ग्यारह).	पेयजल	(बारह).	ईंधन और चारा भूमि
(तेरह).	सड़कें, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन	(चौदह).	ग्रामीण विद्युतीकरण
(पंद्रह).	गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोत	(सोलह).	गरीबी उपशमन कार्यक्रम
(सत्रह).	शिक्षा: प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय	(अठ्ठारह).	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा
(उन्नीस).	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	(बीस).	पुस्तकालय
(इक्कीस).	खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य	(बाईस).	बाजार और मेला
(तेईस).	चिकित्सा और स्वच्छता	(चौबीस).	परिवार कल्याण
(पच्चीस).	आर्थिक विकास के लिये योजना	(छब्बीस).	प्रसूति और बाल विकास
(सत्ताईस).	समाज कल्याण: विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण	(अठ्ठाईस).	कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
(उन्तीस).	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	(तीस).	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।

अन्य जिम्मेदारियाँ

- **योजना का तैयार करना और** उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को भेजना **:** अधिनियम की धारा **15–क**
- **वन और भूमि प्रबंधन से जुड़े काम**: (धारा 16)
- **सार्वजनिक सड़कों और जलमार्गों की मरम्मत, देख-रेख और नया निर्माण (धारा – 17)**
- **सार्वजनि**क सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकती है;
- **सफाई का सुधार और सुधार के लिए गाँव के निवासियों को नोटिस देना जिस पर** (धारा 18)
- **स्कूलों तथा अस्पतालों का संधारण तथा सुधार** (धारा 19 एवं 20)
- **कर्मचारियों के संबंध में ज़िम्मेदारी और अधिकार** (धारा 21 और 22) किसी सरकारी सेवक को अपने क्षेत्र में उसकी कर्तव्य पालन करने में सहायता और सिंचाई विभाग के पतरौल, पटवारी [अथवा लेखपाल, ग्राम के चैकीदार][2] अथवा मुखिया को नियुक्त करने, स्थानान्तरित करने, अथवा बर्खास्त करने के लिये सिफारिश कर सकती है।

ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएँ

1. जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन एवं प्रमाण पत्र
2. विवाह का पंजीयन एवं प्रमाण पत्र
3. पंचायत के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की सूचना चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना
4. काम की इच्छा रखने वाले मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना
5. गाँव में स्वच्छता सुनिश्चित करना
6. पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना
7. गरीब परिवारों की पहचान और उन्हे गरीबों की योजनाओं से जोड़ना
8. पोषण के स्तर की निगरानी और पोषण-आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना
9. स्वास्थ्य की जांच और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करना

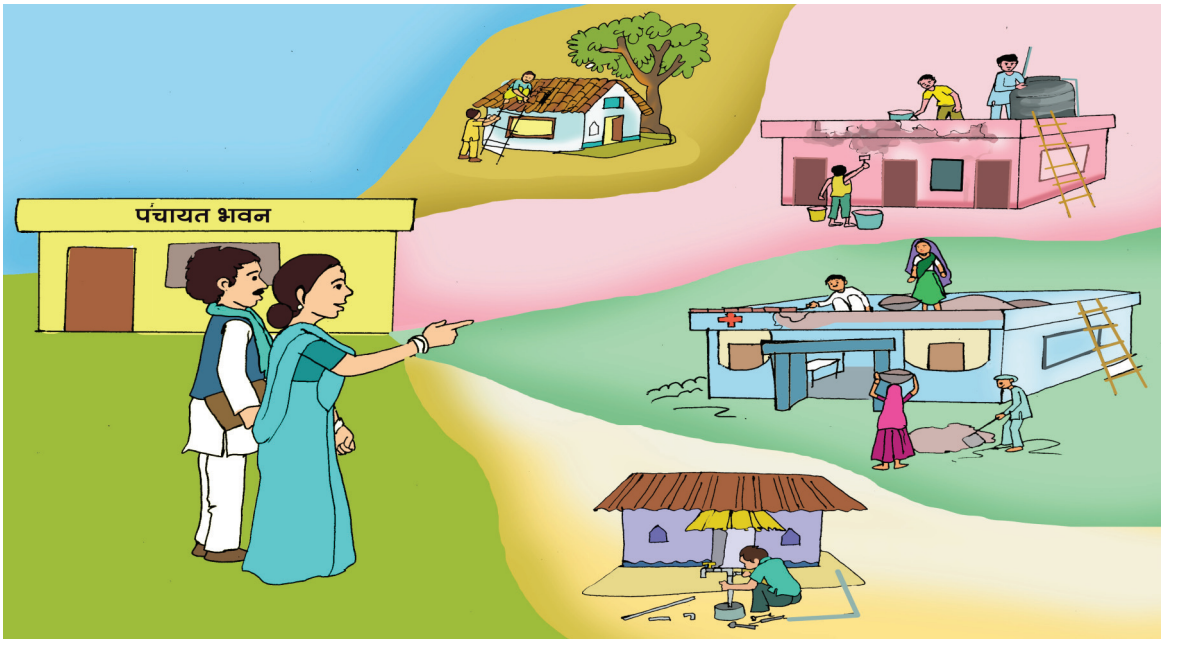

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।

3. ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा की बैठक में गाँव के सभी वयस्क मतदाता भाग ले सकते है और ग्राम सभा के लिए प्रस्तुत विषय पर अपना मत दे सकते है। यह वह मंच है जो सच्चे लोकतन्त्र को व्यवहार में लता है। पंचायत के सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे ग्राम सभा की बैठक की जानकारी स्वयं रखेह और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भी दे। ग्राम सभा की बैठकें तीन तरह की हैं जिसकी जानकारी आगे दी गयी है।

सामान्य बैठक	असाधारण बैठक	अन्य बैठक
प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो सामान्य बैठक होगी- ▪ खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद (खरीफ की बैठक)। ग्राम पंचायत आय - व्यय का अनुमान खरीफ की बैठक में ग्राम सभा के सामने रखेगी ● दूसरी रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद (जिसे रबी की बैठक के रूप में संबोधित किया जाएगा)	● नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से माँग किये जाने पर; ● ग्राम सभा के कुल सदस्यों 1/5 यानि 20 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर 30 दिन के भीतर; ● संयुक्त समिति के गठन के लिए; ● प्रधान को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु ग्राम सभा ● विशेष परिस्थिति, आपदा, संकट के समय प्रधान या नियत अधिकारी द्वारा	● ग्राम सभा के निर्णय पर पुनर्विचार विचार (नियम 40) - ग्राम सभा के निर्णय के तीन महीने के बाद 2/3 सदस्यों के द्वारा मांग करने पर ; ● ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु (अक्तूबर एवं जनवरी) ● महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु ● केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित विशेष योजनाओं हेतु

सूचना	गणपूर्ति
● बैठक से सूचना कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस द्वारा ● बैठक की सूचना में दिनांक, समय और स्थल का विवरण दिया जाएगा ● यह नोटिस ग्राम सभा क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चिपकायी जाएगी ● बैठक की घोषणा डुग्गी पिटवाकर भी दी जाएगी ● सूचना में ग्राम सभा की बैठक में क्या कार्यवाही होगी यह भी स्पष्ट किया जाएगा	● ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 यानि 20 प्रतिशत सदस्यों के उपस्थित होने पर होगी। ● गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी

बैठक की अध्यक्षता

- ग्राम प्रधान ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करेगा । प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान या निर्धारित अधिकारी ने किसी को अध्यक्ष मनोनीत किया हो। यदि दोनों मनोनीत करने असमर्थ हो तो ऐसी दशा में बैठक में उपस्थित पंचायत के सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष चुना जाएगा;

बैठक का संचालन

पंचायत राज नियमावली (नियम 35–क)के अनुसार बैठ का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव निम्न रीति से करेंगे

- ⇢ पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ कर सुनना व कार्यवाही का सदस्यों द्वारा अनुमोदन
- ⇢ पिछली बैठक के बाद से हुए खर्चों का हिसाब प्रस्तुत करना एवं उस पर विचार-विमर्श, ग्राम सभा की बैठक के लिए तय अन्य विषयों पर विचार

⇢ अनुमोदन के बाद कार्यवाही विवरण पर प्रधान के हस्ताक्षर

निर्णय की प्रक्रिया

प्रस्तावित विषयों पर चर्चा के पश्चात बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में मत बराबर आने की दशा में प्रधान अपना निर्णायक मत देंगे

ग्राम सभा के निर्णय पर पुनर्विचार (नियम – 40): निम्न बिन्दुओं पर निर्धारित अधिकारी की अनुमति के बिना पुनर्विचार नहीं होगा - शुल्क एवं उपशुल्क की दर एक बार तय की गयी हो और वार्षिक आय व्यय का अनुमोदित अनुमान

ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही: कार्यवाही के विवरण को हिन्दी में रूप पत्र – 8 के अनुसार रखना और नियत प्राधिकारी को भी भेजना।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम सभा की भूमिका

⇢ अधिनियम के प्रावधानों के भीतर रहते हुए गाँव में लागू की जा सकने वाली परियोजनाओं को बनाने के लिए ग्राम पंचायत को सुझाव देना;

⇢ ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किए गए कामों का निरीक्षण व सामाजिक संपरीक्षा तथा सामाजिक संपरीक्षा के लिए ग्राम पंचायत से सभी जरूरी दस्तावेज़ मांगना

⇢ प्रधान सामाजिक संपरीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता नही करेंगे

4. ग्राम पंचायत की बैठक

ग्राम पंचायत की बैठक कब होगी

- ग्राम पंचायत की पहली बैठक, ग्राम पंचायत के गठन के दिनांक से 30 दिनों के भीतर होगी
- ग्राम पंचायत की समितियों के गठन के लिए विशेष बैठक आयोजित होगी
- ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने आयोजित होगी।
- ग्राम पंचायत के बजट के अनुमोदन के लिए विशेष बैठक आयोजित होगी;

ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना

- ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान बुलाएंगे तथा बैठक की सूचना कम से कम पाँच दिन पहले सदस्यों को लिखित रूप में देंगे;
- प्रधान की अनुपस्थिति या पद से हटने की स्थिति में मनोनीत प्रधान बैठक बुलाएंगे;
- अगर प्रधान तय समय पर बैठक नहीं बुलाते तो बैठक बुलाने की ज़िम्मेदारी नियत प्राधिकारी की होगी;

ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम या गणपूर्ति

ग्राम पंचायत में चार प्रकार की बैठकें निश्चित हैं जिनके लिए कोरम की आवश्यकता निम्नलिखित है:

- **साधारण मासिक बैठक** : कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों की उपस्थित कोरम हेतु अनिवार्य;

- **पंचायत की समितियों के गठन की बैठक** : सभी सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य;
- **समितियों के सदस्य को हटाने हेतु बैठक** : कुल सदस्यों में से 2/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य;
- **बजट अनुमोदन के लिए बैठक** : कुल सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य;
- **स्थगित बैठक के पुनः आयोजन हेतु कोरम** : साधारण मासिक बैठक गणपूर्ति/कोरम के अभाव में स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित बैठक बुलाने के लिए सूचना जरूरी पर कोरम जरूरी नहीं;
- **विशेष बैठकों :** ग्राम पंचायत की विशेष बैठकों में गणपूर्ति के बिना बैठक आयोजित नहीं होगी;

ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन प्रधान और प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान या निर्धारित अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति

बैठक संचालन की प्रक्रिया (नियम 35)

- ☞ पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाना एवं उसका अनुमोदन करवाना अनुमोदन के बाद प्रधान द्वारा हस्ताक्षर
- ☞ पिछली बैठक के बाद से हुए विकास के कामों की विस्तृत जानकारी व खर्चों का विवरण प्रस्तुत पर विचार और चर्चा
- ☞ मतदाता सूची में हुए बदलाव की जानकारी देना
- ☞ राज्य सरकार या निदेशक पंचायत या ज़िला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त हुई सूचना और आदेशों की जानकारी सदस्यों को पढ़ कर सुनाना और समझाना ;
- ☞ पिछली बैठक के उन सभी प्रश्नों के उत्तर देना जिनके जवाब जानकारी के अभाव में पिछली बैठक में नहीं दिये जा सके थे;
- ☞ इस बैठक में सदस्यों द्वारा पुछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना
- ☞ ग्राम पंचायत की उप-समितियों की कार्यवाहियों को पढ़कर सुनाना एवं उस पर विचार
- ☞ अन्य दूसरे विषयों पर विचार

ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय की प्रक्रिया

बैठक बुलाने वाले पदाधिकारी की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह

- ⇢ बैठक किन विषयों पर चर्चा के लिए बुलाई जा रही है यह सभी सदस्यों को सूचित करे;
- ⇢ नियत पदाधिकारी को भी बैठक के विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे और उनके सुझावों को बैठक के विषयवस्तु में शामिल करे
- ⇢ बैठक के विषय वस्तु प्राप्त होने के बाद अगर सदस्य अपने कुछ बिन्दु शामिल करना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में देंगे
- ⇢ प्रधान सदस्यों से प्राप्त विषय पर विचार कर बैठक की अंतिम विषय सूची तैयार करे और संबन्धित पक्षो को उसकी सूचना दे

बैठक का कार्यवाही विवरण (नियम 35 – क)

बैठक की कार्यवाही के विवरण को हिन्दी में नीचे दिये गए प्रारूप के अनुसार रखना और नियत प्राधिकारी को भी भेजना। इसके दस्तावेजीकरण के लिए रूप-पत्र 8 (नियम 36 एवं 53) में स्पष्ट किया गया है जिसे नीचे समझाया गया है:

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	काम जो किया गया है	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह
1	2	3	4	5

प्रत्येक कार्यवाही के अंत में प्रधान (बैठक के अध्यक्ष) और सचिव हस्ताक्षर करेंगे।

5. समितियों की संरचना एवं भूमिका

ग्राम पंचगायत के स्तर पर सभी निर्वाचित सदस्यों के बीच कार्य आवंटन और विकेंब्द्रीकरण के माध्यम से जन-भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के लिए पंचायत के स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान है। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत के स्तर एक समिति अनिवार्य रूप से गठित की जानी हैं और उसके बाद तीन प्रकार की समितियों के गठन की ज़िम्मेदारी पंचायतों और राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। ये समितियां इस प्रकार है:

- प्रदेश पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित समितियां
- प्रदेश के विभिन्न क़ानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत गठित समितियां
- योजनाओं और विषय विशेष के लिए गठित समितियां

अनिवार्य समिति: भूमि प्रबन्धक समिति

भूमि प्रबन्धक समिति अधिनियम की धारा 28 के तहत एक अनिवार्य समिति है जिसके अनुसार पूरी ग्राम पंचायत अपने दायित्वों के साथ-साथ भूमि प्रबन्धक समिति के दायित्वों का निर्वहन भी करेगी। इसके प्रमुख काम इस प्रकार हैं -

- वन तथा वृक्षों की देखभाल, बचाव एवं विकास। आबादी भूमि का विकास, रखरखाव तथा आवागमन एवं संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- बाजार, हाट, मेला जैसी गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना एवं उसका लेखा-जोखा रखना;
- मत्स्य पालन हेतु जलाशय का समुचित प्रबन्धन एवं विकास;
- कुटीर उद्योग का विकास/कृषि का विकास एवं उसमें सुधार। ग्राम तालाबों का प्रबन्धन

अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव के कर्तव्य	बैठक एवं विशेष बैठक	अध्यक्ष का विशेषाधिकार	गणपूर्ति
• **प्रधान द्वारा उपजिलाधिकारी को सूचना:** सम्पत्ति की क्षति, दुरूपयोग अथवा अवैध कब्जा • **लेखपाल द्वारा तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट:** सम्पत्ति के क्षति, उसका दुरूपयोग, अवैध कब्जा की जानकारी प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी की फसल की जांच पड़ताल होने के बाद	▪ एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 3 बैठक; ▪ एक बैठक कृषि वर्ष शुरू होने से पहले भूमि के आवंटन का कार्य पूर्ण करने हेतु 15 मई से 15 जून के बीच ▪ 1/3 सदस्यों के द्वारा मांग पर 10 दिन के भीतर बैठक बुलाना	सदस्यों की सहमति से विशेष बैठक में किसी को परामर्श देने के लिए चुनना	▪ 50 प्रतिशत सदस्य ▪ स्थगित बैठक बिना कोरम के लेकिन की सूचना जरूरी

प्रदेश पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित समितियां

पंचायत राज अधिनयम के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए नियमों और जारी शासनादेशों के तहत वर्तमान में ग्राम पंचायत के स्तर पर 6 समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों के गठन, बैठक, निर्णय और संचालन की प्रक्रिया आगे स्पष्ट की गयी है।

<table>
<tr><th>समिति का नाम</th><th>सभापति</th><th>सदस्य</th><th>विशेष आमंत्रित सदस्य</th><th>सचिव</th></tr>
<tr><td>जैव विविधता प्रबंधन, नियोजन एवं विकास समिति</td><td>प्रधान</td><td rowspan="6">प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होंगे। समिति में सदस्यों के निर्वाचन में वार्ड के लिए निर्वाचित सदस्यों में से निम्न आरक्षण प्रक्रिया का पालन कराते हुए होगा:
☞ एक महिला सदस्य
☞ एक सदस्य अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वर्ग से
☞ एक पिछड़ा वर्ग से</td><td rowspan="6">सभापति या अध्यक्ष निम्न में से अधिकतम सात को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुला सकते हैं
• समिति के विषय से जुड़े उपभोक्ता
• उपभोक्ता समूह एवं विषय विशेषज्ञ
विशेष आमंत्रित सदस्य को बोलने का अधिकार, मतदान का अधिकार नही</td><td rowspan="6">ग्राम पंचायत का सचिव इन समितियों का पदेन सचिव होगा।</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक समिति</td><td>प्रधान</td></tr>
<tr><td>शिक्षा समिति</td><td>प्रधान</td></tr>
<tr><td>पेयजल एवं स्वच्छता समिति</td><td>प्रधान</td></tr>
<tr><td>निर्माण कार्य समिति</td><td>सदस्यों में से सभापति का चुनाव</td></tr>
<tr><td>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति</td><td>सदस्यों में से सभापति का चुनाव</td></tr>
<tr><td>समितियों की बैठक : मासिक</td><td colspan="2">गणपूर्ति या कोरम :चार सदस्यों के उपस्थित होने पर</td><td colspan="2">निर्णय प्रक्रिया साधारण बहुमत, यदि मत बराबर तो निर्णायक मत सभापति का होगा</td></tr>
<tr><td colspan="5">समितियों का ग्राम पंचायत के साथ संबंध :समितियों की नियोजन एवं बजट निर्माण में भूमिका और समितियों की बैठक के दस्तावेज़ ग्राम पंचायत के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे;</td></tr>
<tr><td>समितियों की बैठक</td><td colspan="2">गणपूर्ति या कोरम</td><td colspan="2">निर्णय प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td>मासिक</td><td colspan="2">चार सदस्यों के उपस्थित होने पर</td><td colspan="2">साधारण बहुमत लेकिन मत बराबर तो निर्णायक मत सभापति का ह</td></tr>
</table>

समितियों का ग्राम पंचायत के साथ संबंध: समितियों की नियोजन एवं बजट निर्माण में भूमिका तथा समितियों की बैठक के दस्तावेज़ ग्राम पंचायत के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना;

समिति का नाम	आवंटित विषय
प्रशासनिक समिति	1. राशन की दुकान पर नजर व ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की निगरानी 2. गाँव में व्यवस्था बनाये रखना एवं हाट, बाजार व मेला पर टैक्स लगाना
निर्माण कार्य समिति	1. स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्यों की देखभाल व कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति	1 पीपल्स बायो डाईवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना; कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन व सभी समितियों की नियोजन में भागीदारी; 2. ग्राम पंचायत की योजना बनाना व खुली बैठक में लाभार्थियों का सही चयन
ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति	1. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पुराने हैण्ड पम्प का रख-रखाव; 2. लघु सिंचाई एवं जल निकास की व्यवस्था, जल स्त्रोतों की सूची तैयार करना व प्रबंधन हेतु पंचायतों को सुझाव देना तथा जल से संबंधित समस्याओं के लिए नियोजन करना
शिक्षा समिति	1. प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौचारिक शिक्षा एवं साक्षरता 2. प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना व पढ़ाई के स्तर की जांच तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु वातावरण निर्माण 3. प्राथमिक स्कूल में ढांचागत सुविधाओं के लिए योजना बनाना तथा स्कूल संबंधित समस्या की सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी या सहायक शिक्षा अधिकारी को देना
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन; समाज कल्याण विशेष कर महिला एवं बाल कल्याण, टीकाकरण हेतु स्वास्थ्य कर्ती एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय 2. बीमारियों की जानकारी, मौसमी बीमारियों व महामारी से निपटने की तैयारी 3. स्वास्थ्य संबंधी नियोजन व साफ-सफाई की व्यवस्था; 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं की उपलब्धता एवं पुष्टाहार पर नजर एवं गुणवत्ता

संयुक्त समिति: अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतें आपने आपसी विषयों पर बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त समिति गठित कर सकती हैं।

प्रदेश के अलग-अलग अधिनियमों में वर्णित समितियां

ग्राम राजस्व समिति

राजस्व समिति में अधिकतम 5 सदस्य। समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य। आरक्षण पंचायत राज अधिनियम की धारा 29 के अनुसार। अध्यक्ष: भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष; उपाध्यक्ष – प्रधान के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रधान के निर्विरोध निर्वाचन की दशा में राजस्व समिति के सदस्यों के बीच से उपाध्यक्ष चुनाव।

गठन की प्रक्रिया: पंचायत के निर्वाचन के बाद भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक का आयोजन। इस बैठक में भूमि प्रबंधक समिति के अपने में से 3 अन्य सदस्यों का चुनाव करेंगे

- उप–जिलाधिकारी के प्राप्त सूची का कलेक्टर द्वारा अनुमोदन से ग्राम राजस्व समिति गठित मानी जाएगी
- अगर भूमि प्रबंधक समिति राजस्व समिति के गठन के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश का पालन नहीं करती तो कलेक्टर राजसव संहिता की धारा – 71 के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है

गणपूर्ति: निर्वाचन के लिए आयोजित बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के दो-तिहाई यानि 2/3 सदस्यों से होगी
राजस्व समिति को सौंपे गए काम: ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व से जुड़े प्रकरणों तथा शिकायतों को तय प्रक्रिया द्वारा निपटना

विद्यालय प्रबंधन समिति: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की धारा 21: विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन गैर अनुदानित (जिनको राज्य सरकार फण्ड नहीं दे रही है) विद्यालयों को छोड़ कर सभी विद्यालयों में।

विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य जिनमें से तीन चैथाई (11) सदस्य उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता अथवा संरक्षक। इनमें से आधी यानि 50 % महिलाएं होंगी। शेष 4 सदस्यों इस प्रकार होंगे

एक पंचायत सदस्य, एक सहायक नर्स मिडवाईफ (ए.एन.एम.)	एक लेखपाल	एक प्रधानाध्यापक

उ.प्र. नियमावली अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन: विद्यालय प्रबंध समिति का गठन प्रत्येक दो वर्ष में इसका समिति का पुर्नगठन। दिए गए काम करने के लिए सदस्यों में से छोटे कार्य-समूहों का गठन।

विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य: विद्यालय के कार्यों की देख-रेख, विद्यालय विकास योजना का निर्माण व उसकी संस्तुति, विद्यालय को प्राप्त अनुदानों के सदुपयोग की देख-रेख। बच्चे के अधिकार और माता-पिता एवं संरक्षक के बारे में आसपास के लोगों को अवगत कराना। स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्य के बारे में लोगों को अवगत करना।

- अध्यापकों की नियमित व समय से उपस्थिति एवं बच्चों के माता-पिता व संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें हों,
- अध्यापकों पर निर्धारित कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य का भार न हो तथा वे निजी अध्यापन कार्य में लिप्त न हो,
- सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या, मानक व स्तरों व मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का अनुपालन की देख-रेख;

- बच्चों के अधिकारों संरक्षण, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न रोकना और प्रवेश सुनिश्चित करना;
- भौतिक व्यवस्थाओं जैसे खेल का मैदान, बाउण्ड्री वाल, कक्ष, शौचालय, फर्नीचर, पीने का पानी आदि की व्यवस्था;
- छः वर्ष से अधिक आयु के विद्यालय जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के समकक्ष कक्षा की पढ़ाई हेतु आवश्यकताएं तय करना, योजना बनाना और विशेष प्रशिक्षण की देख-रेख करना तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना;
- विकलांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन और पढ़ाई के लिए सुविधाएं व सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने की देख-रेख करना;

ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति:उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं बिनियम) अधिनियम 2019 को पूरे उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गए इसमे विभिन्न स्तरों पर समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है उसी क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर भूगर्भ जल उप समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

समिति के सदस्य: 3 साल के कार्यकाल के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य नीचे बताई गए तालिका के अनुसार होंगे

ग्राम पंचायत के तीन सदस्य के जो जल संसाधन का स्थलीय ज्ञान रखने	भूजल सेना /पानी पंचायत/जल उपयोक्ता संगम/जल और स्वच्छता समिति के दो सदस्य	लघु सिचाई विभाग के एक प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के एक प्रतिनिधि यानि कुल दो विभागीय प्रतिनिधि

☞ **बैठक:** बैठक प्रतिमाह होगी अर्थात दो बैठकों के बीच की अवधी 30 दिन से अधिक की नहीं होगी ।

☞ **कार्य:** समस्त स्रोतों से सूचना एकत्रित करना और सौंपे गए सभी कम करना; ग्राम पंचायत भूगर्भ जल योजना, संकट ग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल संसाधनों को सुरक्षित, संरक्षित रखने तथा उन्हें विनियमित (नियंत्रित) करना।

योजनाओं और विषय विशेष के लिए गठित समितियां

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति
• स्वास्थ सेवाओं के लिए संस्थागत पटल उपलब्ध कराना समुदाय को स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना, योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
• स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को सामूहिक प्रकार से क्रियान्वित करना व पंचायत को स्वास्थ्य की समझ तथा प्रक्रिया से अवगत कराना
• समुदाय द्वारा स्वास्थ्य संबंधी अनुभव, मुद्दों एवं आवश्यकताओं को स्थानीय शासन एवं स्वास्थ्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
• समुदाय स्वास्थ्य,पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यकर्ताओ ए.एन.एम., आशा व आँगनबाड़ी को सहायता

ग्राम बाल संरक्षण समिति
• बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ एवं देखरेख आदि विषयों की समीक्षा; • बाल श्रम, बाल यौन शोषण, पलायन, ट्रैफिकिंग अथवा किसी प्रकार की बच्चों के साथ क्रूरता रोकना व किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर तथा नवीन आगंतुक बच्चों, ग्राम से बाहर गए बच्चों एवं कारित अपराध में आरोपित बच्चों एवं परित्यक्त शिशु के मिलने की जानकारी संबंधित थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड को तत्काल कार्यवाही हेतु सूचना; • समिति अपने क्षेत्र में आर्थिक अभाव से बच्चों का लालन पालन न करने वाले परिवारों को चिन्हित कर रोजगार परक योजनाओं से अभिभावकों को लाभान्वित कराकर परिवारों को बच्चों के उचित लालन पालन हेतु सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी। • बच्चों को शिक्षित न कर पाने वाले परिवारों को चिन्हित कर प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगी तथा अनिवार्य शिक्षा कानून के दृष्टिगत सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना व उपस्थिति के लिए अनुश्रवण। • ग्राम सभा के प्रत्येक बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ संबंधी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषाहार वितरण के कार्यक्रम सुनिश्चित कराते हुए कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण करेगी तथा जन सामान्य को बच्चों के विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करते हुए सुरक्षित वातावरण व सुरक्षा तंत्र का निर्माण। • बच्चों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार अपराध या कोई घटना होने पर उन्हें त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य चाइल्ड लाइन 1098 पुलिस 112 वीमेन पावर लाइन 1090 महिला हेल्पलाइन 181 से संपर्क कर सकते हैं।
गंगा सेवा समिति: अभियान से संबंधित गतिविधियों से का आयोजन एवं ठोस तरल अवशिस्ट प्रबंधन

6. वित्त, लेखा एवं ऑडिट

ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 41 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत अगले वित्तीय वर्ष के लिए निम्न का विवरण तैयार करेगी

- ☞ अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले संसाधनों (प्रमुख रूप से वित्तीय संसाधन) या प्राप्तियों का अनुमान
- ☞ अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले खर्चों यानि व्यय का अनुमान

बजट तैयार करते समय ग्राम पंचायत यह ध्यान रखेगी कि

- ⇢ आय-व्यय का अनुमान रूप पत्र (ग) में तैयार हो और इसे ग्राम सभा की खरीफ की बैठक में रखा जाए;
- ⇢ अपनी वार्षिक आय में से सभी मदों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भवनो और परिसंपत्तियों का रख-रखाव जैसे मदों के लिए अलग-अलग प्रावधान कर के धनराशि निश्चित करेगी;
- ⇢ बजट का अनुमोदन ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा दोनों स्तरों पर हो;
- ⇢ ग्राम पंचायत के बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाएगा
- ⇢ बजट अनुमान के लिए आयोजित बैठक का कोरम पंचायत के कुल सदस्यों के आधे से अधिक होगा

ग्राम निधि (धारा – 32)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 32 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 1 ग्राम में भी होगी। ग्राम पंचायत इस निधि में नीचे स्पष्ट स्रोतों से प्राप्त धनराशि को जमा करेगी:

7. योजना निर्माण

7.1. पंचायत अधिनियम एवं नियमों के द्वारा प्रस्तावित

प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 15-क में योजना निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप

- ग्राम पंचायत प्रति वर्ष अपने पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार द्वारा तय दिनांक तक और प्रारूप में क्षेत्र पंचायत को सौंपेगी
- राज्य पंचायत नियमावली के नियम 151 से 164 तक प्रक्रिया और प्रारूप स्पष्ट किए गए हैं।

7.2. जी०पी०डी०पी० प्रक्रिया एवं चरण

उत्तर प्रदेश सरकार नें जी.पी.डी.पी. की प्रक्रिया को इस तरह से परिभाषित एवं स्पष्ट किया है:

(क) पहला चरण: वातावरण निर्माण

जीपीडीपी के अंतर्गत बनाई जा रही योजना के प्रचार प्रसार में गांव में सक्रिय स्व-सहायता समूह को शामिल करना तथा प्रचार-प्रसार अभियान में पोस्टर और बैनर का उपयोग

ग्राम सभा का आयोजन : ग्राम सभा छोटे समूहों में यानि वार्ड सभा, महिला सभा एवं बाल सभा आयोजित की जाएगी। सदस्यों की उपस्थिती को स्मजिक वर्गवार दर्ज़ किया जाएगा। महिलाओं की संख्या भी लिखी जाएगी।

(ख) दूसरा चरण: गांव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

- ☞ गांव की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति के विश्लेषण के लिए सहभागी ग्रामीण अध्ययन पद्धति का उपयोग
- ☞ आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहता समूहों द्वारा गरीबी की स्थिति और गरीबी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और गरीबी दूर करने की योजना प्रस्तुत करना
- ☞ ग्राम सभा की बैठक में मिशन अंत्योदय के द्वारा एकत्रित आंकड़ों और सूचकांकों के आधार पर निम्न क्षेत्रों में विश्लेषण और गंभीर या नाजुक कमियों की पहचान तथा आंकड़ो का सत्यापन

(ग) तीसरा चरण: जरूरतों का आंकलन और प्राथमिकता तय करना

- परिस्थिति विश्लेषण से उभर कर सामने आई समस्याओं की सूची बनाना
- सभी समस्याओं को विषय वार वर्गीकरण
- आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई कमियों पर चर्चा और प्राथमिकता के आधार पर निम्न तीन वर्गों में बांटना:

अतिआवश्यक	आवश्यक	वांछित

- प्राथमिकता तय करते समय ध्यान देना कि चयनित विषय निम्न के हित में हो

गांव की महिलाओं तथा बच्चे	अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित एवं कमजोर	गाँव सभी या अधिक लोग

- प्राथमिकताओं का निर्धारण के श्रेणियां

वित्त या पैसे की जरूरत वाली प्राथमिकताएं और गतिविधियां	वह प्रशासनिक हस्तक्षेप से दूर होने वाली प्राथमिकताएं

- अगले साल उपलब्ध हो सकने वाले संभावित संसाधनों की सूची तैयार करना यानि रिसोर्स इनवेलप

(घ) चतुर्थ चरण: साधनों का निर्धारण एवं प्रारूप योजना तैयार करना

प्रस्तावित क्षेत्र	प्राथमिकताएं	संसाधनों का आवंटन	आवंटित संसाधनों का स्रोत
ऐसी गतिविधियों की सूची होगी जिसमें ग्राम सभा की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया	उन गतिविधियों की सूची होगी जिन्हें वार्षिक कार्य योजना के लिए अनुमोदित किया गया	वह चयनित और अनुमोदित गतिविधियां जिनको पूरा करने के लिए जो धनराशि आवंटित की	चयनित और अनुमोदित गतिविधि के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों का स्रोत

योजना निर्माण की प्रक्रिया में विभागों की भूमिका: विभागों द्वारा कार्यक्रमों और योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण

(क) प्रस्तुतीकरण में शामिल विभाग		विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के बिन्दु
1. वन विभाग 2. शिक्षा विभाग 3. पंचायत राज विभाग; 4. ग्राम्य विकास विभाग 5. कृषि विभाग 6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7. महिला एवं बाल विकास विभाग 8. ऊर्जा विभाग 9. रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग 10. पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग	1. विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय 2. योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्पष्ट करना; 3. पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ का विवरण; 4. लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया; 5. योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका; 6. यह स्पष्ट करना कि योजना को जीपीडीपी में क्यों शामिल किया जा रहा है
नोट: संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जाएगी		

गतिविधि एवं बजट की समीक्षा

- चालू वर्ष की लिए चयनित गतिविधियों पर काम की स्थिति की समीक्षा
- चालू वर्ष की लिए चयनित गतिविधियों पर खर्च हुये वित्तीय संसाधनों की समीक्षा

ग्राम सभा की बैठक में ध्यान देने योग्य विंदु

- पायी गई कमी का कारण क्या है इस बात पर चर्चा
- कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है इसके संभावित विकल्पों पर चर्चा
- उचित विकल्प का चुनाव और इसके आधार पर पंचायत को प्रस्ताव
- गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हे जी.पी.डी.पी. की कार्य योजना में शामिल करना;

गतिविधियों को अंतिम रूप देना

- ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा गतिविधियों को अंतिम रूप देना

(ङ) पांचवा चरण: योजना के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

- चयनित गतिविधियों के आधार पर तैयार कार्य योजना को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करवाना
- अगले वित्तीय वर्ष में ली जाने वाली गतिविधिययों का विवरण तालिका के अनुसार प्रस्तुत करना

क्रम संख्या	पिछले वर्ष की प्रस्तावित गतिविधियां	नई प्रस्तावित गतिविधियां	प्रस्तावित कार्य योजना

- योजना के प्रारूप की एक प्रतिलिपि विभाग के प्रतिनिधियों को ग्राम सभा की बैठक में सौंपन
- ग्राम सभा की बैठक और इस बैठक के सूचना पटल को जियो टैग करना

प्रशासनिक स्वीकृति: प्रशासनिक स्वीकृति दो चरणों में होगी पहले ग्राम सभा के द्वारा और उसके बाद पंचायत के द्वारा

ग्राम विकास योजना में शामिल सभी गतिविधियां एक परियोजना है और हर परियोजना का दस्तावेज ग्राम पंचायत को अगली ग्राम सभा की बैठक के सामने प्रस्तुत करना होगा

योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण

- ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कार्य योजना को पंचायत का सचिव ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्य योजना को अपलोड करेगा
- ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की यह जिम्मेदारी है कि वह हर गतिविधि के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए लाभार्थियों का चयन करके निगरानी में सहायता के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित करेगी
- यह समिति योजना क्रियांवयन की समीक्षा करेगी जिसे लोगों में भागीदारी बढ़ेगी
- योजना बनाने का खर्च 15 वे वित्त आयोग के माध्यम से उपलब्ध निधि से खर्च किया जाएगा
- ग्राम स्वराज पोर्टल पर हर काम की एक वर्क आईडी जनरेट की जाएगी और कार्यों की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी और भौतिक प्रगति के साथ-साथ वित्तीय खर्च का विवरण भी दिया जाएगा;

पंचायत सहायक की भूमिका

- पंचायत सहायक पंचायत कार्यालय को नियमित रूप खोल्न एवं संचालन ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री करेगा एवं पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार जानकारी उपलब्ध करवाएगा
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं पेयजल के यूजर चार्ज से नियमित कलेक्शन और रिकॉर्ड कीपिंग
- ग्राम पंचायत की सभी बैठकों में भाग लेगा और प्रधान के निर्देश के अनुसार काम करना तथा सभी दस्तावेज़ जो ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपलब्ध होने चाहिए उन्हें जिस सीमा तक संभव हो वहां तक डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर रखना
- ग्राम सचिवालय की स्थापना पर होने वाले व्यय फर्नीचर कंप्यूटर इंटरनेट बिजली मानदेय सभी के भुगतान से संबंधित हुए को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा

8. ई-ग्राम स्वराज

ई–ग्राम पंचायत की जरूरत को स्पष्ट करते हुए प्रदेश सरकार नें यह स्पष्ट किया है कि सरकार चाहती है कि ई–ग्राम पंचायत व्यवस्था के माध्यम से ग्राम पंचायतें

- पारदर्शी एवं जवाबदेही संस्था के रूप में विकसित हों; सहभागी नियोजन एवं विकेंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना ह तथा कार्य आधारित लेखा (वर्क बेस्ड अकाउंटिंग) तंत्र की स्थापना हो;

यह महत्वपूर्ण है की है सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान अपने डिजिटल हस्ताक्षर किसी अन्य को न दे और स्वयं ही सभी ऑनलाइन भुगतान हेतु उनका उपयोग करें

इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के उपयोग के लिए जरूरी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि -

- इसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्य प्रणाली यथा –सहभागी नियोजन, क्रियान्वयन, भौतिक प्रगति,वित्तीय प्रगति एवं परिसम्पत्तियों के सृजन से संबन्धित कार्यों एवं सूचनाओंको ऑनलाइन संचालित किया जाता है।
- पंचायतें अपनी वार्षिक कार्ययोजना को अपलोड करतें हैं उसके पश्चात पंचायत में हो रही गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति पोर्टल में दर्ज़ की जाती हैं तथा विभागीय अधिकारी जैसे कि सचिव एवं प्रधान के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षर के मधायम से ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही पूरी की जाती है।

ई ग्राम पंचायत स्वराज के विभिन्न मॉड्यूल: पंचायत प्रोफ़ाइल, प्लानिंग या नियोजन माड्यूल, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग या प्रगति की जानकारी का माड्यूल, अकाउंटिंग या लेखा माड्यूल तथा एम-एक्शन सॉफ्ट

9. ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्य

आम तौर पर पंचायत राज व्यवस्था में प्रधान के पद को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम पंचायत राज प्रणाली को ठीक से समझे तो पंचायत राज व्यवस्था में व्यक्ति के स्थान पर सभी अधिकार ग्राम पंचायत नमक संस्था को दिए गए हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान से समझने वाली है कि

- ☞ पंचायत को दिए अधिकार पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय से लागू होते है और
- ☞ पंचायत का निर्णय पंचायत के सभी सदस्यों के बहुमत से तय होता है;

सदस्यों को भत्ता एवं मृत्यु की दशा में मुआवजा

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत के सदस्यों को

- रु. 100 प्रति बैठक भत्ता देने का निर्णय लिया है जो की वर्ष में अधिकतम 12 बैठको के लिए होगा;
- मृत्यु हो जाने की दशा में रु. 2 लाख का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्णय लिया है;

इसका स्पष्ट अर्थ है कि ग्राम पंचायत और उसकी सभी गतिविधियों के केंद्र में ग्राम पंचायत के वह सदस्य हैं जो पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकार सदस्यों का है और यह अधिकार पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णयों से लागू होता है। और ग्राम पंचायत के सभी निर्णय या फैसले या तो बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से या फिर बहुमत से लागू होते हैं यानि ग्राम पंचायत के स्तर पर निर्णय और अधिकारों के केंद्र में ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं।

नियोजन का तंत्र एवं इसमें सदस्यों की भूमिका

ग्राम पंचायत के द्वारा गाँव के लिए ऐसी योजना बनानी है जिससे गाँव में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो। संविधान, प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, प्रदेश के अन्य अधिनियम और दूसरे केंद्रीय क़ानूनों ने पंचायतों को नियोजन की ज़िम्मेदारी दी है जिसमे

- ⇢ योजना निर्माण में सहायता के लिए ग्राम पंचायत की समितियां और सरकारी विभाग हैं और योजना पर अंतिम निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हैं
- ⇢ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं को क्षेत्र, जिला, प्रदेश एवं देश की व्यापक नियोजन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ऊपर के स्तर की पंचायतें और राज्य सरकार के विभाग है;

नियोजन में ग्राम पंचायत के सदस्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, निवास करने वाले परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा अपने क्षेत्र के अधोसंरचना की स्थिति के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखते है:

राज्य पंचायत अधिनियम तथा नियमों के द्वारा प्रस्तावित: पंचायत सदस्यों को इस योजना निर्माण में यह देखना और सुनिश्चित करना है कि उनके प्रादेशिक क्षेत्र की अधोसंरचना की स्थिति पर योजना की बैठक में चर्चा हो तथा ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनो और दूसरे आर्थिक विकल्पों के आधार पर उस अधोसंरचना की मरम्मत हो और

ग्राम विकास योजना या जी.पी.डी.पी. में प्रस्तावित

जी.पी.डी.पी. के लिए होने वाले नियोजन में पंचायत सदस्यों की यह व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है कि वह:

- ⇢ प्रतिवर्ष योजना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी एकत्र करें और अवगत रहें
- ⇢ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थिति से जुड़े तथ्य एकत्र करे
- ⇢ अंत्योदय मिशन और स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण के समय यह देखें और सुनिश्चित करें कि उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ठीक से प्रस्तुत हो रही है
- ⇢ यह भी सुनिश्चित करें कि उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड सभा का ठीक से आयोजन हो

- ⇢ बाल सभा के आयोजन में उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रके बच्चों की भागीदारी तय हो;
- ⇢ विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण और योजना निर्माण में उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मुद्दों को यथासंभव शामिल किया गया हो

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक: सदस्यों की भूमिका

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत को दिए गए सारे अधिकार ग्राम पंचायत के सदस्यों के सामूहिक अधिकार है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के अलग अधिकार धारा 26 में बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं

- ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बैठक में कोई भी सदस्य अलग रूप से एक संकल्प प्रस्तुत कर सकता है
- ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य प्रधान या ग्राम पंचायत के प्रशासन के विषयों के बारे में नियमों के अधीन प्रश्न पूछ सकता है
- ग्राम पंचायत का सदस्य पंचायत द्वारा गठित की जाने वाली समिति या संयुक्त समिति का सदस्य बन सकता है और उस समिति के जिम्मेदारी का निर्वहन करें गा
- क्योंकि ग्राम पंचायत को ही भूमि प्रबंधक समिति भी घोषित किया गया है अतः ग्राम पंचायत का प्रदेश सदस्य भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य के रूप में काम करेगा और उसके तहत दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा

निर्देशन एवं मार्गदर्शन

- **श्री आलोक वर्मा**
  प्रोजेक्ट डायरेक्टर – एच.सी.एल. फाउंडेशन-समुदाय, क्लीन नोएडा
- **श्री योगेश कुमार**
  आपरेशन हेड, एच.सी.एल. फाउंडेशन
- **श्री वैभव चौहान**
  सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एच.सी.एल. फाउंडेशन

सम्पादन सहयोग

- **संजय शुक्ला**
  सेक्टर लीड (पी.आर.आई.)
- **अशोक कुमार जयसवाल**
  एसोसिएट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर
- **संचिता मालाकार**
  प्रोजेक्ट एसोसिएट

अवधारणा एवं आलेख

- **श्री अमिताभ कुमार सिंह**
  निदेशक, डिबेट
- **श्रीमति लीना सिंह**
  सेंटर कोऑर्डिनेटर, संस्थागत सीख, डिबेट

सहयोग

- **श्री मनीष कुमार सिंह**
  सलाहकार, लखनऊ
- **डा. अलका सिंह**
  सलाहकार, लखनऊ
- **श्री मृगांक शेखर**
  सलाहकार, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

डिबेट

सशक्तिकरण एवं विकास के लिए लोगों का अपना विकल्प

HCL Samuday

HCL FOUNDATION